कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

क्रमांक / 78/ S.W. / F-34 / 2024 देवास, दिनांक– 19 / 09 / 2024

:0: आदेश :0:

माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ–इन्दौर द्वारा MISC. CIVIL CASE NO. 437 of 2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 अनुसार, इस न्यायिक स्थापना पर पदस्थ द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद (सुश्री नन्दिनी उइके) जिला–देवास के न्यायालय में लंबित व्यवहार वाद क्रमांक/RCS A/85 / 2023 (राजेश प्रजापत वि. सुरेश आदि) को उक्त प्रकरण की पक्षकार–श्रीमती गंगाबाई (प्रतिवादी क्र.5) द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा–24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, को स्वीकार करते हुए, देवास में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास के न्यायालय में अंतरित किया गया है।

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास के न्यायालय में वर्तमान में कोई भी साम्पत्तिक प्रकरण सुनवाई हेतु लंबित न होना व्यक्त किया गया है। ऐसी दशा में उक्त व्यवहार वाद क्रमांक/RCS A/85 / 2023 (राजेश प्रजापत वि. सुरेश आदि) को प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास के न्यायालय से प्रत्याहरित कर, जिला मुख्यालय–देवास पर कार्यरत तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय में विधिवत् सुनवाई एवं निराकरण हेतु अंतरित किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, अजय प्रकाश मिश्र, प्रधान जिला न्यायाधीश देवास, धारा 24 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, कन्नौद (सुश्री नन्दिनी उइके) जिला–देवास के न्यायालय से प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास के न्यायालय को अंतरण पर प्राप्त व्यवहार वाद क्रमांक/RCS A/85 / 2023 (राजेश प्रजापत वि. सुरेश आदि) को उक्त न्यायालय से प्रत्याहरित कर विधिवत सुनवाई एवं निराकरण हेतु **तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, (श्री नीलेन्द्र कुमार तिवारी) देवास** के न्यायालय में अंतरित करता हूँ।

प्रकरण अविलंब संबंधित न्यायालय को भेजे जावें।

19/9/24

(अजय प्रकाश मिश्र)
प्रधान जिला न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक / 3886 / S.W. / F-34 / 2024 देवास, दिनांक– 19 / 09 / 2024

प्रतिलिपिः–

01. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, देवास की ओर व्यवहार वाद क्रमांक/ RCS A /85 / 2023 (राजेश प्रजापत वि. सुरेश आदि) के मूल अभिलेख सहित।
02. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, देवास , की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
03. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला न्यायाधीश, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, देवास की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. जुनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, देवास की ओर उक्त आदेश को जिला न्यायालय, देवास की वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश सहित अग्रेषित।

19/9/24

(अजय प्रकाश मिश्र)
प्रधान जिला न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)